

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 1, राज्य कर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 1, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.10.2020 से 21.10.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविन्द कुमार सिंह, श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.08.2019 से 29.08.2019 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप - राजस्व संग्रह व GST संग्रह

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - हरिद्वार क्षेत्र, सेक्टर-10, 11E SIDCUL हरिद्वार

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	10280.49
2018-19	29865.00
2019-20	267628.00

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

₹:

(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 1, राज्य कर, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 1, राज्य कर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.45 लाख।

प्रस्तर- 02 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.23 लाख।

प्रस्तर- 03 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹1.53 लाख की राजस्व क्षति।

प्रस्तर- 04 : फार्म 'सी' पर अनियमित रूप से कर में छूट दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 15.84 लाख।

प्रस्तर- 05 : कर का अनारोपण ₹ 31.00 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर - 01 : व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.45 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, यदि किसी व्यापारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत दस हजार रुपये या अंतर्गस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खंड -1 राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उपरोक्त व्यापारी सर्वश्री **ए0वी0 मेडिकेयर, हरिद्वार**, (टिन: 05014361360) की कर निर्धारण वर्ष 2016-17 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त व्यापारी की बिक्री ` 2,43,54,197 (79,22,680 + 16431517) को स्वीकार करते हुए कर आरोपित किया गया है जबकि संलग्न विवरण के अनुसार उक्त व्यापारी की बिक्री ` 2,71,94,940/- की होनी चाहिए थी। इस प्रकार कम दर्शाई बिक्री ` 28,40,743/- (27194940 - 24354197) पर 5% की दर से न्यूनतम ` 1,42,037/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी द्वारा समस्त खरीद एवं बिक्री घोषित करते हुए समस्त कर जमा किया गया है, अंतर वार्षिक विवरणी में घोषित खरीद एवं बैलेन्स शीट में घोषित खरीद में है। यह उल्लेखनीय है कि बैलेन्स शीट में डाइरेक्ट एक्स्पेंसेस अलग से दर्शाये गए हैं, अतः, आपत्ति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश एवं उक्त व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी से यह स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2016-17 में कुल `2,49,74,924/- की आयातित खरीद की गई थी, परंतु उपलब्ध कराये गए प्रॉफिट एंड लॉस खाता में कुल आयातित खरीद ₹2,21,34,206/- को स्वीकार करते हुए विवरण तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त `6,71,795/- के डाइरेक्ट एक्स्पेंसेस एवं `39,87,860/- का सकल लाभ भी दर्शाया गया है। यदि कुल आयातित `खरीद `2,49,74,924/-, freight `2,82,300/- एवं सकल लाभ `39,87,860/- को शामिल करते हुए संलग्न तालिका - 1 के अनुसार व्यापारिक विवरण तैयार किया जाये तो उक्त व्यापारी की बिक्री `

2,68,05,445/- की होनी चाहिए थी। इस प्रकार कम दर्शाई बिक्री ` 24,51,248/- (26805445 - 24354197) पर 5% की दर से न्यूनतम ` 1,22,562/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 1,22,562/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

अतः कर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 2,45,125/- (कर - ` 1,22,562 + अर्थदण्ड ` 1,22,562) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

तालिका - 1

अनारोपित कर का विवरण: सर्वश्री ए0वी0 मेडिकेयर, हरिद्वार			
टिन: 05014361360, कर निर्धारण वर्ष: 2016-17			
1	प्रारंभिक रहतिया	2685332	
2	कुल खरीद	27768618	(2793694 + 24974924)
3	सकल लाभ	3987860	
4	Freight	282300	
5	योग (1+2+3+4)	34724110	
6	अंतिम रहतिया	7918665	
7	अपेक्षित बिक्री (5-6)	26805445	
8	बिक्री जिस पर कर आरोपित किया गया	24354197	(7922680 + 16431517)
9	कम दर्शाई गई बिक्री(7-8)	2451248	
10	आरोपणीय कर की दर (%)	5	
11	कम दर्शाई गई बिक्री पर आरोपणीय न्यूनतम कर	122562	
12	आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत न्यूनतम अर्थदण्ड	122562	
13	कुल योग (11+12)	245125	

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 02 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.23 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में (i) (दिनांक 31.03.2015 से पूर्व) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हजार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा (ii) (दिनांक 31.03.2015 से) यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हजार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हजार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), खंड - 1, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 44,59,181/- को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 2,22,959/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि सभी मामलों में विलंब मात्र 2 से 10 दिनों का है तथा ब्याज सहित जमा है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय द्वारा भी अर्थदण्ड लगाया जाना उचित नहीं माना है, अतः, आपत्ति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फ्रंटियर स्प्रिंगज लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स उत्तर प्रदेश वाद में 04 अक्टूबर 2013 को दिये गए निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "It has to be kept in mind that payment of interest on the delayed amount of tax flows from statutory provision i.e. Section 8(1) of the Trade Tax Act while penalty proceedings are taken for delayed payment of tax under

Section 15A (1) (a) of the Trade Tax Act. Both interest and penalty are two different concepts. Interest flows from the retention of the money, which was legally payable, while penalty is inflicted for violation of statutory provisions and the time scheduled prescribed. In the totality of the circumstances as on record, this Court finds absolutely no illegality in the order passed by the Tribunal (The tribunal had earlier pronounced in the case that deposit of admitted amount of tax interest for delayed period by the assessee, will not dilute the levy of penalty).

अतः ` 2.23 लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	इंटरनेशनल ओवेरसीज कापॉरिशन, हरिद्वार	05017201132	2016-17	Mar-17	20-Apr-17	25-Apr-17	5	1357816.00	5.00	67890.80
				May-16	May-16	25-Apr-17	5	659008.00	5.00	32950.40
2	हर्बल कान्सैप्ट हैल्थकेयर प्रॉलि0 हरिद्वार	05001809851	2016-17	Sep-16	20-Oct-16	25-Oct-16	5	35177.00	5.00	1758.85
				Nov-16	20-Dec-16	22-Dec-16	2	900000.00	5.00	45000.00
				Nov-16	20-Dec-16	22-Dec-16	2	161942.00	5.00	8097.10
				Dec-16	20-Jan-17	23-Jan-17	3	303421.00	5.00	15171.05
				Dec-16	20-Jan-17	25-Jan-17	5	65040.00	5.00	3252.00
				Dec-16	20-Jan-17	30-Jan-17	10	6154.00	5.00	307.70
				Jan-17	20-Feb-17	27-Feb-17	7	962357.00	5.00	48117.85
				Mar-17	20-Apr-17	29-Apr-17	9	8266.00	5.00	413.30
						TOTAL		4459181.00		222959.05

भाग दो ब

प्रस्तर- 03 : कर के अनरोपण के फलस्वरूप ₹1.53 लाख की राजस्व क्षति।

कार्यालय उपायुक्त-1 राज्य कर हरिद्वार के अभिलिखों के लेखा परीक्षा के दौरान जांच में पाया गया कि सर्व श्री केमिकल प्रा0 लि0 हरिद्वार (टिन 05008208844, वर्ष 2015-16) का व्यापार LLP की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल ₹ 15,41,28,729.00 की खरीद एवं ₹154324126.00 की बिक्री घोषित की गयी थी जिसपर 0% की दर से कर आरोपित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म ई एवं सी की जांच करने पर पता चला की APAR Industry Rakholi Rd KUDACHA DADAR NAGAR HAVELI द्वारा फार्म 'ई- 1' ₹ 1006887.00 Power Oil LLP हेतु उक्त व्यापारी को निर्गत किया गया। उक्त खरीद को केंट केमिकल प्रा लि द्वारा आंध्र प्रदेश के व्यापारी को बिक्री किया जाना था (फार्म ई1 की एंट्री के अनुसार) जिसके द्वारा केंट केमिकल हरिद्वार को फार्म सी निर्गत किया जाना था। परंतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत फार्म सी no 121535 14080417 दिल्ली के व्यापारी ऊर्जा इंटरनेशनल द्वारा ₹11,34,224.00 के other chemical (excluding petro chemical) (₹417000/-) की खरीद हेतु निर्गत है। अतः उक्त बिक्री को बिना फार्म सी से आच्छादित मानते हुए पूर्ण दर से कर ₹ 1,53,120.00 आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की “फार्म 'ई- 1' पर place एवं state name में हरिद्वार एवं आंध्र प्रदेश अंकित कर दिया गया। इस में स्पष्ट है की state name आंध्र प्रदेश त्रुटिवश अंकित हो गया था, जो उत्तराखंड होनी चाहिए थी। इस संव्यवहार हेतु फार्म सी भी विधिवत संलग्न है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है की दिल्ली के व्यापारी द्वारा निर्गत फार्म 'सी', other chemical (excluding petro chemical) की खरीद हेतु निर्गत है जबकि LLP (Light Liquid Paraffin) भी एक पेट्रोकेमिकल है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 04: फार्म 'सी' पर अनियमित रूप से कर में छूट दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹15.84 लाख।

सी एस टी एक्ट 1956 की धारा 8 (4)(a)के अनुसार "The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner (a) A declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority".

कार्यालय उपायुक्त-1 राज्य कर हरिद्वार के अभिलिखों के लेखा परीक्षा के दौरान जांच में पाया गया की सर्वश्री डायनेस्टी इंडिया हरिद्वार (टिन 05006207637, वर्ष 2017-18) का व्यापार काँपर/फ़ैन के निर्माण एवं बिक्री का था और संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल क्रय रु 13993610.00 एवं बिक्री रु 21592976.00 का घोषित किया गया था। उक्त बिक्री में फार्म सी के बिरुद्ध रु 21591056.00 की बिक्री थी। फार्म 'सी' की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित फार्म 'सी', बिक्री के संव्यवहार से पूर्व निर्गत किए गए जो उपरोक्त नियम के आलोक में नियम विरुद्ध था। अतः उक्त फार्मों से आच्छादित निम्नलिखित संव्यवहार को फार्म सी से अनाच्छादित मानते हुए कर रु 15,84,230.00 (11735041*13.5%) आरोपणीय है।

SI no.	Form c No.	Form c issue date	Form c Amount (₹)	Invoice No.	Date	Amount (₹)
	14c 4260199	09.05.2017	7102885.00	1	08.04.2017	2727000
				9	19.04.2017	1689225
				24	20.06.2017	2303769
				29	25.06.2017	382891
	14c 4981320	26.05.2017	2085953	7	18.04.2017	403596
				16	11.05.2017	1254420
				28	25.06.2017	427937.00
	14c 4658922	13.06.2017	2364208	2	10.04.2017	352328.40
				8	18.04.2017	1126150
				25	21.06.2017	885729.00
	14c 6501259	11.04.2017	5365226	6	18.04.2017	317423
				13	08.05.2017	436320
				17	11.05.2017	962858
				21	09.06.2017	1881529
				27	25.06.2017	1767096
	14c 6501262	12.04.2017	2845850	03	10.04.2017	476361
				11	28.04.2017	422306
				26	21.06.2017	1462868
				30	25.06.2017	484315

विभाग ने उत्तर दिया कि “ केंद्रीय विक्री कर अधिनियम कि धारा 13(3) एवं 13(4) मे राज्य सरकारो को अधिनियमो के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने कि शक्तियाँ प्राप्त है जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा केंद्रीय फार्म्स जारी करने कि प्रक्रिया निर्धारित कि जाती है। प्रश्नगत सभी फार्म वेस्ट बंगाल से जारी है जो वहाँ के केंद्रीय बिक्री कर नियमावली के अंतर्गत ही जारी किए गए होंगे। उत्तराखंड राज्य मे भी ब्लैंक फार्म जारी किए जाते थे। इस संबंध मे मद्रास हाइ कोर्ट द्वारा quality enterprises v. A. DCTO (2002) 127 STC 504 के मामले मे निर्णय दिया है की issue of blank C form cannot be denied on the ground that transaction of dealer is taxable only as local purchases. Once a dealer pays necessary charges for C forms the blank C forms must be issued. If he misuses C forms he is liable to penalties contemplated in the Act.

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त फार्मों द्वारा आच्छादित समस्त समव्यवहारों की इन्वाइस के दिनांक से ही स्पष्ट है, की उक्त फार्म 'सी', निर्गत करने वाले व्यापारी द्वारा संगत फार्म सी से आच्छादित्संगत व्यवहारों से पूर्व मे दिये गए हैं। अतः फार्म 'सी' निर्गत की तिथि के बाद के समस्त समव्यवहारों (marked in bold in the table)को फार्म सी से अनाच्छादित मानते हुए कर आरोपणीय है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर- 05 : कर का अनारोपण ₹ 31.00 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), खंड - 1, हरिद्वार की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि सर्वश्री आसका एक्यूप्मेंट्स लिमिटेड, हरिद्वार, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली में उपलब्ध कराये गए बिक्री के आंकड़ों के अनुसार व्यापारी द्वारा कुल ₹90,67,79,551/- की इन्फ्लेटिंग लेटिंग टावर एवं इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री की गई थी, जिस पर 13.5%(प्रांतीय) एवं 1%(केन्द्रीय बिक्री) की दर से करारोपण किया गया है, किन्तु व्यापारी द्वारा कर निर्धारण पत्रावली में संलग्न की गई Statement of Profit and Loss में कुल ₹92,97,42,946/- की बिक्री (Revenue from operations) घोषित की गई है।

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यदि कम प्रदर्शित बिक्री ₹2,29,63,395/- (₹92,97,42,946 - 90,67,79,551) पर लाभांश न भी जोड़ा जाय तब भी कम प्रदर्शित बिक्री ₹2,29,63,395 पर बिक्री के अनुक्रम में 13.5% के दर से ₹31,00,058/- का कर आरोपणीय है। जो आरोपित नहीं किया गया। अतः कम आरोपित कर ₹31,00,058/-, राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कर निर्धारण आदेश एवं बैलेंस शीट में अंकित बिक्री में अंतर का कारण बैलेंस शीट का consolidated होना है, व्यापारी से उपरोक्त के संबंध में प्रपत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अतः कर के अनारोपण ₹31,00,058/- का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-1/2009-10	-	01	-
CT-12/2011-12	-	01	-
CT-02/2012-13	-	01	-
CT-31/2014-15	01	01,02,03,04,05	-
CT-03/2015-16	-	01,02	-
CT-31/2016-17	01,02	01,02,03,04	-
CT-70/2017-18	-	01,02,03,04,05,06	-
CT-59/2019-20	-	01	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 1, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री अनुराग मिश्रा,	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV